

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-84/2023

/पटना, दिनांक—

श्रीमती इन्दु चौहान, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), सहरसा अंचल, सहरसा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.08.2025 से 02.01.2026 तक कुल 155 दिनों का उपार्जित अवकाश उपभोग करने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्रीमती चौहान के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (201-155=46) छियालिस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विजय कुमार)

उप सचिव,

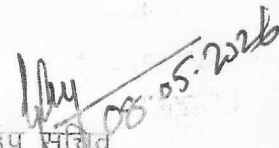
वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-84/2023 1615

/पटना, दिनांक- 11/05/26

प्रतिलिपि:-वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र०), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रगारी), सहरसा अंचल, सहरसा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस० वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती इन्दु चौहान, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), सहरसा अंचल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।